SAMAKHIALI

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1541] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2010/श्रावण 5, 1932

No. 1541] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2010/SHRAVANA 5, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

का.आ. 1846(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 क के 183.5000 कि.मी. से 362.160 कि.मी. (बामनबोर - समाख्याली - गांधीधाम सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 क के 306.000 कि.मी. से 362.160 कि.मी. (समाख्याली - गांधीधाम सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है) तक के विद्यमान चार लेन वाले सेक्शन को छः लेन का बनाने, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मेसर्स एल एण्ड टी समाख्याली - गांधीधाम टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 979 माउंट पूनामाली रोड, मानापक्कम चेन्नई - 600089 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' कहा गया है) के साथ डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण के आधार पर एक करार किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 180 (अ) तारीख 4 फरवरी 2005, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए फीस नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उदगृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक, वास्तविक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रूपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी), हल्के माल यान	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	अर्थ मूविंग उपस्कर या भारी संनिर्माण मशीनरी या बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	बड़े आकार यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण:-

1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

(i) वास्तविक फीस" से उक्त सेक्शन के सड़क उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है,

(क) प्रत्येक फीस प्लाजा के लिए नियत परियोजना राजमार्ग की लम्बाई;
(ख) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचीबद्ध और पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के मध्य करार के अनुसरण में सभी पूरोधार्य शर्तो को पूरा करने के पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होता है ।

(iii) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(iv) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त सेक्शन की बाबत् प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं ।

2. फीस का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 क के पथकर प्लाजा कि.मी 308.80 (समाख्याली) पर किया जायेगा ।

[फा. सं. एन एच ए आई/13013/542/10-11/सी. ओ./जीसी पालानपुर(306-362) बी.ओ.टी.]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the27th July, 2010

S.O. 1846(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, the Central Government entrusted the stretch from Km 183.5000 - Km 362.160 (Bamanbore – Samakhyali – Gandhidham section) of National Highway No. 8 A in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s L & T Samakhiali Gandhidham Tollway Private Limited, having its registered office at P. O. Box 979, Mount Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai – 600089 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing 4 lane section from Km 306.000 to Km 362.160 (Samakhiali – Gandhidham section) of National Highway No. 8 A in the State of Gujarat (hereinafter referred to as the said section) to six lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 180 (E), dated the 4th February, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees on the type of mechanical vehicles specified in column (2) of the following Table, at the base rate specified in column (3) thereof, for the use of the said section and authorises the Concessionaire to collect and retain the actual fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely,-

Table

Sl. No.	Type of vehicle.	Base rate of fee per vehicle per km per one way trip (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
5	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes:-

1. For the purposes of this notification,-

(i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of-
(a) length of the project highway assigned to each fee plaza;
(b) base rate of fee provided in the above Table duly indexed,
and shall be rounded off to nearest five rupees;

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after satisfying all Conditions Precedent in accordance with the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section;

(iii) "termination date" means the date on which the aforesaid agreement expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(iv) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the aforesaid agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2. The fee shall be collected at the toll plaza at Km 308.80 (Samakhiali) of National Highway No 8 A.

[F. No. NHAI/13013/542/10-11/CO/GC Palanpur (306-362) BOT]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.